कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541-222303 E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक दिनांक

**सेवा में**

श्री दिलीप कुमार शर्मा,
परियोजना पदाधिकारी, सी0सी0एल0
आम्रपाली, खुली खदान परियोजना,
पो0– डकरा, जिला– राँची।

**विषयः–** आम्रपाली रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 107.06 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

**प्रसंगः–** आपका पत्रांक GM(MA)/ENF/2019-20/208 दिनांक 03.07.2019

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 107.06 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव ऑन–लाईन एवं ऑफ लाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के जॉच के क्रम में पाया गया कि निम्नवत् वांछित अभिलेख/त्रुटि में सुधार आवश्यक है :–

1. पार्ट–I के कंडिका B(i) में List of proposal submitted in past में सूचना Nil अंकित किया गया है जबकि CCL को भारत सरकार द्वारा कई परियोजनाओं पर प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है। उन सभी परियोजनाओं का विवरणी अंकित करना अनिवार्य है।
2. आम्रपाली परियोजना हेतु परियोजना पदाधिकारी को Proposal Submit करने हेतु Authorized किया गया है तो फिर श्री सैमित्रा सिंह का Authorized Letter संलग्न करने का क्या औचित्य है?
3. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी के Grand Total, रकबा एवं प्रस्तावित रकबा में काफी भिन्नता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
4. वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न है परन्तु इस क्रम में हुई ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न नहीं है।
5. उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत जंगल–झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र का अवलोकनोंपरांत पाया गया कि मौजा–सोपारम, थाना– टण्डवा–24, खाता संख्या 117, प्लॉट संख्या– 236 अंश कुल रकबा– 0.40 हे0 हेतु अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत है, जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में खाता संख्या– 117, प्लॉट संख्या– 313 अंश, रकबा 0.40 एकड़ अंकित है दोनों प्लॉटों में विरोधाभासी है। इसे स्पष्ट करे। साथ ही मौजा नौवडीहा में खाता संख्या– 68, प्लॉट संख्या– 56 अंश में 0.10 एकड़ का उपायुक्त, चतरा द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत है परन्तु भूमि विवरणी में अंकित नहीं है इसे भी स्पष्ट करे। इस प्रकार मौजा सेरनदाग में भी

प्लॉट संख्या– 683 रकबा 0.34 एकड़ में अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत है परन्तु भूमि विवरणी में अंकित नहीं है।

6. पार्ट–I के कंडिका H(i) में Whether the project recquires clearance under the Environment (Protection) Act 1986 में No अंकित है। इस संबंध में Yes अंकित करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।
7. प्रस्तावित परियोजना में निर्माण के क्रम में प्रभावित वृक्षों की गणना सूची/सारांश संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।
8. टोपो मैप पर दिखाये रेलवे निर्माण Alignment अस्पष्ट है इसे स्पष्ट Location दर्शाते हुए संलग्न किया जाय।
9. प्रस्ताव में संलग्न Geo-reference Map अस्पष्ट है क्योंकि रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु दिखाये गये Alignment का Width कही संकिर्ण एवं कही अधिक चौड़ा है। इसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त रेलवे साईडिंग का निर्माण कितनी लंबाई एवं चौड़ाई में किया जायेगा। इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करें।
10. मौजा मैप पर दिखाये गये रेलवे साईडिंग निर्माण में प्रभावित सभी मौजों को संयुक्त कर मौजा मैप पर रूट दिखाया हुआ संलग्न है। उक्त रेलवे साईडिंग निर्माण में प्रभावित मौजों को मौजावार मैप पर Alignment दर्शाते हुये Index के साथ प्रस्ताव में संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही नक्शा पर दिखाये गये Alignment के अवलोकन के उपरांत पाया गया कि Component Wise पार्ट– 1 में अंकित सूचना सही प्रतीत नहीं होता है। इसे स्पष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित अभिलेख/त्रुटियों में सुधार हेतु प्रस्ताव की हार्ड कॉपी एवं ऑन लाईन इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस की जा रही है। संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक 2464 दिनांक 23.07.19

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

23/7/19